

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:ई/चि.अ./आर-2930/2024/ दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
गंगापुर सिटी।

विषय: डॉ० रामचरण मीणा, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी खण्डीप गंगापुर सिटी
के सम्बन्ध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ० रामचरण मीणा, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी खण्डीप गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, अवगत कराया है कि डॉ० संजीव कुमार शर्मा द्वारा आपको प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीएचसी खण्डीप का चार्ज देने हेतु निवेदन किया। आप द्वारा सीएचसी खण्डीप का चार्ज उच्चाधिकारियों से अनुमोदन/आदेश प्राप्त किये बिना ही आदेश क्रमांक 376 दिनांक 15.03.2024 जारी कर सीएसी खण्डीप का चार्ज डॉ० संजीव कुमार शर्मा को हस्तान्तरित कर दिया गया। उक्त आदेश के कारण चिकित्सक एवं चिकित्सक के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को 2 माह से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः आप द्वारा जारी आदेश क्रमांक 376 दिनांक 15.03.2024 के सम्बन्ध में प्रकरण की पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलम्ब 03 दिवस में निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक : 21/05/2024

क्रमांक:ई/चि.अ./आर-2930/2024/205

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन भरतपुर।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
7217626

Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <dydravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date :16-05-2024 10:20:37